

इसे वेबसाईट www.govtprintmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 269]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 जुलाई 2016—आषाढ़ 10, शक 1938

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2016

क्र. एफ 22-54-2002-आठ.—मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतदद्वारा, परमपूज्य शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वतीजी महाराज ज्योतिषपीठ, बद्रिकाश्रम की नवीन बस “SML ISUZU” को, जिसका-चेसिस नंबर MBUNIR75GX0000758 एवं इंजिन नंबर 4HKIGY 15882 है, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है।

2. यह अधिसूचना इसके “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशन के तारीख से प्रवृत्त होगी।

No. F-22-06-2016-VIII.—In exercise of the powers conferred by Section 21 of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam 1991, (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, exempts the new bus of parampujya Shankarcharya Swami Swarupanand Sarasvatiji Maharaj JoytishPeeth, Badrikasharam, “ SML ISUZU” Chassis No. MBUNIR75GX0000758 and Engine NO. 4 HKIGY 15882 from the payment of tax leivable under Section 3 of the said Act.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the “Madhya Pradesh Gazette”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार भार्गव, अपर सचिव,